संख्या-168/2023/1621/22-2-2022-17(1164)/2022

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 27 अप्रैल, 2023

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी जब्बुल सिंह पुत्र श्री सन्तराम सिंह, निवासी जनपद-सीतापुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-14703/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-16-03-2022 दिनांक 09.05.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी जब्बुल सिंह पुत्र श्री सन्तराम सिंहए रामनगर, थाना-महोली, जनपद-सीतापुर का निवासी है। बन्दी द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 17.11.1996 को 09 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बांका, लाठी व तमन्चा से मारकर 02 व्यक्तियों की हत्या कारित की गयी। बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-639/1996 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 302/149 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0-01, सीतापुर के आदेश दिनांक 30.09.2009 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 30.12.2021 तक 12 वर्ष 10 माह 24 दिन की अपरिहार सजा तथा 16 वर्ष 11 माह 24 दिन की सपरिहार सजा काटी गयी है। पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर ने बंदी द्वारा भविष्य में अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं होने, बंदी पुन: अपराध करने में अशक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी जब्बुल सिंह (बन्दी संख्या-47017) पुत्र श्री सन्तराम सिंह, निवासी जनपद-सीतापुर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-168/2023/1621(1)/22-2-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।